

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-20 / L-3/Nursing/Ajmer/-26288 / 2024 / III

दिनांक:- 11-3-2024

-: शुद्धिकरण :-

निदेशालय के निम्नांकित आदेश के द्वारा नर्सिंग अधिकारी के स्थाईकरण स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे, उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	निदेशालय का आदेश क्रमांक/दिनांक	स्वीकृति आदेश में क्रम संख्या	संशोधन
01.	ई-20/नर्सिंग/नर्स-2/एसी पी-पार्ट-3/ए-3/2017/403 दिनांक 29.06.2017	क्रम संख्या 04 पर अंकित	कार्मिक की एसीपी देय तिथि 16.04.2017 के स्थान पर 15.04.2017 पढा जावे है।

शेष यथावत

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11-3-2024

क्रमांक:- ई-20 / L-3/Nursing/Ajmer/-26288 / 2024 / III

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ ई0एस0आई0 योजना, जयपुर।
4. चिकित्सा अधिक्षक, महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाडा को उनके पत्रांक 4231 दिनांक 17.11.2023 के क्रम में।
5. प्रभारी डी0पी0सी0 अनुभाग, मुख्यालय,।
6. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5699983

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :04-03-2024 02:53:55